

भारत सरकार तथा बेनिन लोक गणराज्य की सरकार
के बीच सांस्कृतिक करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा बेनिन लोक गणराज्य की सरकार
इसके बाद इन्हें " सांविदाकारी पक्षकार " कहा जासगा, दोनों
देशों के बीच मैत्री संबंधों और दोनों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान
को सुदृढ़ बनाने की इच्छा से, निम्नलिखित के लिए सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद-1

सांविदाकारी पक्षकार समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धान्तों
के आधार पर, संस्कृत, शिक्षा, विज्ञान, जन स्वास्थ्य, खेल, युवा कार्यकलाप
प्रकाशन, प्रेस, प्रसारण, सिनेमा और दूरदर्शन के क्षेत्रों में दोनों देशों
के बीच द्विपक्षीय विनियमों और सहयोग के लिए सहमत हैं

अनुच्छेद-2

सांविदाकारी पक्षकार निम्नांकित कलात्मक और सांस्कृतिक
सहयोग के लिए सहमत हैं :

- १क॥ दौरो, अध्ययन दौरो अथवा अन्य प्रकार के सांस्कृतिक
समारोहों के लिए लेखकों, खिलाड़ियों, कलाकारों तथा
कारीगरों का आदान-प्रदान ,
- १ख॥ प्रदर्शन दलों का पारस्परिक आदान-प्रदान ,
- १ग॥ सांस्कृतिक अथवा कलात्मक प्रदर्शिनियों का आदान-
प्रदान

अनुच्छेद-3

सांविदाकारी पक्षकार शिक्षा, कला तथा संस्कृत के क्षेत्र में
निम्नांकित प्रकार के सहयोग के लिए सहमत है :

- १क॥ यदि आवश्यक हो तो दौरो, अध्ययन दौरो अथवा
पाठ्यक्रमों और भाषणों के आयोजन के लिए शिक्षकों,

अध्येताओं और विशेषज्ञों का पारस्परिक आदान-प्रदान ।

- ॥ख॥ प्रत्येक पक्षकार की आवश्यकताओं और योग्यताओं के आधार पर पारस्परिक रूप से छात्रवृत्तियां प्रदान करना और स्वीवत्त पोषित छात्रों के परस्पर आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना ।
- ॥ग॥ दोनों देशों की उच्च अध्ययन संस्थाओं के बीच सीधे सम्पर्क को प्रोत्साहित करना और सुदृढ़ करना ।
- ॥घ॥ दोनों देशों के शिक्षा विभागों के बीच नियमावलियों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य पुस्तकों और प्रलेखनों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना ।
- ॥ङ.॥ दोनों देशों में आयोजित व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए अनुसंधानकर्ताओं तथा विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करना । इस संबंध में संबंधित पक्षकार हर संभव सुविधाएं प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद-4

दोनों पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार अन्य पक्षकार की उत्कृष्ट साहित्यिक तथा कलात्मककृतियों का अनुवाद करने तथा प्रकाशित करने के लिए सहमत हैं । दोनों पक्षकारों ने पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा साहित्यिक और कलात्मक दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने में सहमति व्यक्त की ।

अनुच्छेद-5

दोनों पक्षकारों ने दोनों देशों के खेल संगठनों के बीच सम्पर्क और सहयोग बढ़ाने और प्रत्येक पक्षकार की संभावनाओं की सीमाओं के अन्तर्गत दौरों के लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा खेल दलों तथा मैत्री प्रतियोगिता के आदान प्रदान और व्यावसायिक अनुभव के विनिमय के लिए सहमति व्यक्त की ।

अनुच्छेद-6

संविदाकारी पक्षकारों ने औषध तथा जन-स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विशेषकर पारम्परिक औषध के क्षेत्र में अनुभव के विनिमय में अपनी सहमति प्रकट की ।

अनुच्छेद-7

संविदाकारी पक्षकारों ने प्रेस, प्रसारण, दूरदर्शन तथा सिनेमा के क्षेत्रों में सहयोग के विनिमय में सहमति प्रकट की । इसके लिए निम्नलिखित के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा :-

- ॥क॥ पत्रकारों, फिल्म बनाने वालों और निर्माताओं की, उनके अनुभवों का लाभ उठाने के लिए पारस्परिक आदान-प्रदान तथा फिल्मों, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान ।
- ॥ख॥ एजेंसियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान और पत्र-पत्रिकाओं का आदान-प्रदान ।

अनुच्छेद-8

संविदाकारी पक्षकार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, विशेष रूप से दौरो अथवा सेमिनारों के लिए वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान करके या प्रलेखन के आदान-प्रदान करने के लिए सहमत हैं ।

अनुच्छेद- 9

संविदाकारी पक्षकार पुस्तकालयों, अभिलेखों और दोनों देशों के संग्रहालयों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद- 10


संविदाकारी पक्षकार, वर्तमान करार के टांचे के अन्तर्गत पारस्परिक विचार-विमर्शों, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए वार्षिक कार्यक्रमों और उन्हें वित्तपोषित करने की पद्धतियों के माध्यम से बाद में परिभाषित करने के लिए सहमत हैं ।

अनुच्छेद-11

यह करार हस्ताक्षर होने के बाद लागू होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यह करार साथ-साथ 5 वर्ष की और अवधि के लिए स्वतः ही नवीकृत समझा जाएगा जब तक कि कोई भी सविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार को इस प्रकार के पांच वर्ष पूरे होने से छह महीने पूर्व लिखित रूप में करार को समाप्त कर देने की सूचना नहीं देता।


नई दिल्ली में 19 आषाढ़, 1908 {शक} तदनुसार 10 जुलाई, 1986 को दो मूल प्रतियों, प्रत्येक हिन्दी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे।

भारत गणतंत्र की
सरकार की ओर से



{ पी० वी० नरसिंह राव }
मानव संसाधन विकास मंत्री

बेनिन लोक गणतंत्र की
सरकार की ओर से



{ फ्रेडेरिक एपको }
विदेश मंत्री

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES
REPUBLIC OF BENIN

The Government of the Republic of India and the Government of the Peoples Republic of Benin (hereinafter called the "Contracting Parties"),

Desirous of reinforcing the friendly relations between the two countries and of promoting cultural exchanges between them,

have agreed on the following:

ARTICLE 1

The contracting parties agree to the development, based on the principles of equality and mutual benefit, of bilateral exchanges and co-operation between the two countries in the field of culture, education, science, public health, sports, youth activities, publishing, press, broadcasting, cinema and television.

ARTICLE 2

The contracting parties agree to the following kinds of artistic and cultural co-operation:

- (a) Exchange of writers, sportsmen, artistes and artisans for visits, study tours or other kinds of cultural events;
- (b) Mutual exchange of performing troupes;
- (c) Exchange of cultural or artistic exhibitions.

ARTICLE 3

The contracting parties agreed to the following kinds of co-operation in the field of education, arts

and culture:

- (a) Mutual exchange, if necessary, of teachers, scholars and specialists for visits, study tours or for conducting courses and lectures.
- (b) Mutual grant of scholarships depending on the requirements and abilities of each side, and encouragement for mutual exchange of self-financing students.
- (c) Encouraging and reinforcing direct contacts between institutions of higher learning of the two countries.
- (d) Encouraging the exchange of manuals as well as other books and documentation concerning education between the departments of education of the two countries.
- (e) Encouraging researchers and specialists to participate in professional international symposiums held in the two countries. The concerned side would offer all possible facilities in this connection.

ARTICLE 4

Each of the two parties agrees to translate and publish outstanding literary and artistic works of the other party. The two parties agree to exchange books, periodicals and literary and artistic documents.

ARTICLE 5

The two parties agree to intensify contacts and co-operation between sports organisations of the two

countries and to exchange, within the limits of the possibilities of each side, sportsmen, coaches and sports teams for visits and friendly competition as well as the exchange of professional experience.

ARTICLE 6

The contracting parties agree to exchange experiences in the fields of medicine and public health particularly traditional medicine.

ARTICLE 7

The contracting parties agree to exchanges of co-operation in the areas of the press, broadcasting, television and cinema. To this end, particular encouragement will be given to :

- (a) Mutual exchange of journalists, film makers and producers to share their experience as well as the exchange of films and radio and television programmes.
- (b) Exchange of information between agencies and exchange of magazines and periodicals.

ARTICLE 8

The contracting parties agree to exchanges in the field of social science, particularly by the exchange of scientists for visits or seminars and by the exchange of documentation.

ARTICLE 9

The contracting parties will encourage exchanges

co-operation between the libraries, archives and the museums of the two countries.

ARTICLE 10


The contracting parties agree, within the framework of the present agreement, to subsequently define, through mutual consultation, annual programmes for cultural exchanges and the modalities for financing them.

ARTICLE 11


This agreement shall enter into force on signature and remain valid for a period of 5 years. It shall be deemed to have been renewed automatically for further periods of 5 years at a time unless either of the contracting parties informs the other in writing of its intention to terminate the agreement six months before the expiry of any such five years period.

DONE in New Delhi on 19th Asadha, 1908 (Saka) corresponding to the 10th July, 1986 in 2 originals, each in the Hindi, French and English languages, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA


(P.V. NARASIMHA RAO)
MINISTER OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT

FOR THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLES REPUBLIC OF BENIN


(FREDERIC AHO)
FOREIGN MINISTER OF BENIN